

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

10/2018  
10.01.2018

कल्ला पुत्र नंदलाल जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०  
—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सोप  
दिनांक 18.09.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री भजन लाल सैनी, अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 08.08.2018.

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 18.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० रास्ता वाके ग्राम रोशनपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही अपीलांट ने अतिक्रमण कर बाडा बनाया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिश वंश गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो मौके की वास्तविक स्थिति के काफी विपरित है। अपीलांट द्वारा कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्पीकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है। अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने व भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।



- 805 जिला कलेक्टर  
टोंक

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्धीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम रोशनपुरा के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है० भूमि पर बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.2016 से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। नायब तहसीलदार सोप ने उनके पत्र क्रमांक 554 दिनांक 25.06.2018 से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ख०नं० 178 से दिनांक 23.06.2018 को मौके से भौतिक रूप से पुलिस व प्रशासन द्वारा कब्जा हटाया जाकर भूमि खाली करा दी गई है। अपीलान्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मेरा उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2017 द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा शास्ती राजकोष में जमा करादी है तथा अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार सोप यह सुनिश्चित करले की अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आर.सी.ढेनवाल)  
जिला कलेक्टर, कोट  
कोट